



भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ सत्रहवां सत्र
(2 जुलाई, 2009 से 7 अगस्त, 2009 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2009

भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकी सूचना
राज्य सभा का दो सौ सत्रहवां सत्र
(2 जुलाई, 2009 से 7 अगस्त, 2009 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
2009

वेबसाईट: <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल: rsqns@sansad.nic.in

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ सत्रहवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें दस विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-IX में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नजर में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली;
9 नवम्बर, 2009
18 कार्तिक, 1931 (शक)

विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव।

विषय-सूची

	पृष्ठ
I. प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या	1
II. सत्र प्रारंभ होने का समाचार जारी होने के पश्चात प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त सूचनाएं.....	2-3
II-क. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	4
III. प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या को दर्शाया गया है.....	5-8
IV. अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	9
V. उन विषयों को दर्शानेवाला विवरण जिनके संबंध में राज्य सभा में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए।	10-12
VI. तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण.....	13
VII. प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण.....	14-15
VIII. राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सारांश.....	16
IX. राज्य सभा में पूछे गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	17-19
X. राज्य सभा में प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणी/दिए गए निदेश/निर्णय.....	20-24

विवरण ।

प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या

वर्ग I

कोयला; कारपोरेट कार्य; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; पर्यावरण और वन; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; सूचना और प्रसारण; विधि और न्याय; खान; अल्पसंख्यक कार्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; विद्युत; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; जनजातीय कार्य; महिला एवं बाल विकास । 1442

वर्ग II

नागर विमानन; वित्त; भारी उद्योग और लोक उद्यम; मानव संसाधन विकास; पंचायती राज; ग्रामीण विकास; पोत परिवहन । 1651

वर्ग III

वाणिज्य और उद्योग; रक्षा; गृह; श्रम और रोजगार; सड़क परिवहन और राजमार्ग; वस्त्र । 1422

वर्ग IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; संस्कृति; पृथ्वी विज्ञान; विदेश; आवास और शहरी गरीबी उपशमन; प्रवासी भारतीय कार्य; संसदीय कार्य; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; पर्यटन; शहरी विकास; जल संसाधन; युवक कार्यक्रम और खेल । 1680

वर्ग V

कृषि; रसायन और उर्वरक; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; रेल; इस्पात । 1878

योग: 8073

विवरण इ॥

सत्र प्रारंभ होने का संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	02.07.2009	174	46	220	52
2.	03.07.2009	202	56	258	52
3.	07.07.2009	201	49	250	38
4.	08.07.2009	224	69	293	47
5.	09.07.2009	204	50	254	53
6.	10.07.2009	264	65	329	73
7.	13.07.2009	284	58	342	61
8	14.07.2009	281	69	350	54
9	15.07.2009	273	66	339	68
10	16.07.2009	232	54	286	60

11	17.07.2007	264	58	322	71
12	20.07.2009	315	47	362	68
13	21.07.2009	304	57	361	62
14	22.07.2009	334	76	410	113
15	23.07.2009	272	66	338	62
16	24.07.2009	286	58	344	72
17	27.07.2009	265	68	333	69
18	28.07.2009	234	81	315	54
19	29.07.2009	302	78	380	76
20	30.07.2009	226	38	264	48
21	31.07.2009	260	98	358	57
22	03.08.2009	343	62	405	64
23	04.08.2009	297	78	375	68
24	06.08.2009	266	52	318	65
25	07.08.2009	206	61	267	54
योग		6513	1560	8073	1561

विवरण-॥ "क"

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं*	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	6513	500	225	660	1289	-	6	-
अतारांकित	1560	3810+	1059++	132	392	-	-	-
योग	8073	4310	1284	792	1681	-	6	-

+ इसमें 3006 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकृत किया गया।

++ इसमें 827 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनायें सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के एक रूप में एक से अधिक नामों से स्वीकृत किया गया।

विवरण-III

प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/ विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत तारांकित	अतारांकित	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	सदस्यों को लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधान मंत्री	24(5)	-	-	-	9(2)	15(3)	-	-	-	5
2.	कृषि	368(77)	19(7)	192(44)	71(21)	17(1)	69(4)	-	-	-	19
3.	परमाणु ऊर्जा	50(10)	5(3)	26(3)	13(2)	1	5(2)	-	-	-	-
4.	रसायन और उर्वरक	111(17)	10(5)	60(9)	17(2)	6	18(1)	-	-	-	-
5.	नागर विमानन	232(39)	17(3)	104(19)	33(6)	24(3)	54(8)	-	-	-	27
6.	कोयला	101(24)	8	41(9)	12(2)	8	31(13)	-	1	-	4
7.	वाणिज्य और उद्योग	281(40)	20(3)	125(13)	51(12)	33(5)	52(7)	-	-	-	13
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	219(27)	17(3)	128(15)	41(4)	5(1)	28(4)	-	-	-	8
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	273(63)	21(5)	127(28)	52(17)	15(2)	58(11)	-	-	-	13
10.	कारपोरेट कार्य	34(3)	1	16	3	3	11(3)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	संस्कृति	66(3)	2	33(3)	7	11	13	-	-	-	3
12.	रक्षा	177(54)	8(1)	69(27)	26(5)	59(6)	15(15)	-	-	-	10
13.	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विकास	16(1)	1	7	-	3(1)	5	-	-	-	-
14.	पृथ्वी विज्ञान	20(3)	1	18(3)	1	-	-	-	-	-	3
15.	पर्यावरण और वन	261(48)	14(2)	124(27)	38(7)	31(1)	54(11)	-	-	-	21
16.	विदेश	292(65)	23(6)	120(32)	55(10)	43(7)	51(10)	-	-	-	16
17.	वित्त	551(89)	35(9)	255(40)	86(29)	41(2)	131(9)	-	3	-	41
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	31(2)	1	16(1)	4	4(1)	6	-	-	-	-
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	546(109)	32(6)	266(54)	90(22)	44(13)	114(14)	-	-	-	55
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	60(6)	6(1)	29(3)	14	4(1)	7(1)	-	-	-	14
21.	गृह	511(128)	20(7)	179(36)	60(13)	95(24)	157(48)	-	-	-	36
22.	आवास और शहर गरीबी उपशमन	70(13)	5(1)	45(8)	8(2)	1	11(2)	-	-	-	6
23.	मानव संसाधन विकास	507(89)	25(4)	241(51)	81(19)	64(4)	96(11)	-	-	-	23
24.	सूचना और प्रसारण	76(24)	4(3)	37(9)	9(2)	6(1)	20(9)	-	-	-	7
25.	श्रम और रोजगार	121(18)	9(1)	62(12)	14(3)	10	26(2)	-	-	-	11
26.	विधि और न्याय	143(24)	8(2)	49(7)	15(2)	43(7)	28(6)	-	-	-	5
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	57(15)	7(2)	27(5)	10(5)	-	13(3)	-	-	-	3
					6						
28.	खान	35(5)	1	18(5)	7	5	4	-	-	-	4

29.	अल्पसंख्यक कार्य	57(11)	3	25(3)	4(1)	4(2)	21(5)	-	-	-	-
30.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	52(1)	2	22(1)	8	3	17	-	-	-	-
31.	प्रवासी भारतीय कार्य	106(20)	9(2)	55(9)	32(4)	7(3)	3(2)	-	-	-	-
32.	पंचायती राज	23(6)	-	12(4)	2(1)	1	8(1)	-	-	-	-
33.	संसदीय कार्य	10(2)	-	2	2	3(1)	3(1)	-	-	-	5
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	70(24)	10(3)	36(10)	11(5)	8(4)	5(2)	-	-	-	4
35.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	249(44)	18(2)	101(27)	53(12)	16(3)	60	-	1	-	7
36.	योजना	108(32)	8(5)	58(11)	21(7)	6(3)	15(6)	-	-	-	-
37.	विद्युत	217(35)	10(2)	96(16)	43(10)	26(4)	42(3)	-	-	-	15
38.	रेल	461(86)	30(7)	220(40)	74(11)	35(7)	102(21)	-	-	-	37
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	245(57)	16(4)	142(34)	41(7)	3(1)	43(11)	-	-	-	28
40.	ग्रामीण विकास	205(42)	11(2)	101(23)	27(7)	17(2)	49(8)	-	-	-	15
41.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	40(1)	1	26(1)	4	2	7	-	-	-	-
42.	पोत परिवहन	73(5)	6(1)	21(1)	13(1)	17(1)	16(1)	-	-	-	10
43.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	71(18)	4(2)	46(10)	7(3)	6(2)	8(1)	-	-	-	-
44.	अंतरिक्ष	7(1)	1	3	1	1	1(1)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन	17(5)	1	7(3)	5	2	2(2)	-	-	-	-
46.	इस्पात	62(12)	1	32(6)	11(1)	2	16(5)	-	-	-	-
47.	वस्त्र	87(7)	7(1)	43(3)	9(2)	3(0)	25(1)	-	-	-	-
48.	पर्यटन	108(19)	9	70(15)	18(1)	2	9(3)	-	-	-	5
49.	जनजातीय कार्य	40(4)	2	18(4)	-	3	17	-	-	-	5
50.	शहरी विकास	150(29)	13(2)	82(19)	21(7)	6	28(1)	-	-	-	-
51.	जल संसाधन	210(51)	9(1)	104(26)	38(9)	13(4)	46(11)	-	-	-	11
52.	महिला एवं बाल विकास	113(31)	6	43(10)	17(7)	12(7)	34(7)	-	1	-	-
53.	युवक कार्यक्रम और खेल	59(17)	3(1)	31(10)	4(2)	9(2)	12(2)	-	-	-	-
कुल:		8073(1561)	500(109)	3810(749)	1284(283)	792(128)	1681(292)	-	6	-	489

विवरण - IV

अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1.	वी.आई.पी कोटा हेतु टिकट कंफर्मेशन में अनियमितारुं	श्री कमाल अख्तर	रेल	अस्वीकृत	-
2.	असम में मटमोरा डाइक का निर्माण	श्री कुमार दीपक दास	जल संसाधन	अस्वीकृत	-
3.	मौसम पूर्वानुमान हेतु परियोजना	श्रीमती रेणुबाला प्रधान	पृथ्वी विज्ञान	अस्वीकृत	-
4.	उर्दू समाचार पत्र का प्रसार और विज्ञापन	श्री साबिर अली	सूचना और प्रसारण	अस्वीकृत	-
5.	उर्दू समाचार पत्र का प्रसार और विज्ञापन	श्री साबिर अली	सूचना और प्रसारण	अस्वीकृत	-
6.	उर्दू समाचार पत्र का प्रसार और विज्ञापन	श्री मोहम्मद अदीब	सूचना और प्रसारण	अस्वीकृत	-
7.	उर्दू समाचार पत्र का प्रसार और विज्ञापन	श्री मोहम्मद अदीब	सूचना और प्रसारण	अस्वीकृत	-

विवरण - V

उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गृहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	कृषि नीति/ योजना/ उत्पादन	-	20	-
2.	रसायन और उर्वरक	उर्वरक आपूर्ति	-	15	-
3.	नागर विमानन	-एयर कनेक्टिविटी	4	11	5
		-विमानन क्षेत्र का संकट	4	13	6
		-विमापत्तनों का आधुनिकीकरण	7	20	10
4.	वाणिज्य और उद्योग	-एफ डी आई	3	28	7
		-एस ई जेड	3	15	-
5.	संचार सूचना और प्रौद्योगिकी	-बीएसएनएल/ एमटीएनएल सेवाएं	1	14	3
		-डाक घर	-	15	-
		-स्पेक्ट्रम	1	19	5

6.	विदेश	-चीन	1	14	5
		-पाकिस्तान	4	21	5
7.	वित्त	-बैंकों का कार्यकरण	2	15	-
		-आयकर	2	20	-
8.	स्वास्थ्य	-खाद्य सुरक्षा	3	14	-
		-चिकित्सा शिक्षा/ महाविद्यालय	3	14	6
		चिकित्सा सुविधाएं/ मेडिकेयर	3	26	-
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	3	14	6
		-स्वाइन फ्लू	3	24	6
		-प्राकृतिक आपदा	-	18	-
9.	गृह	-नक्सलवाद	3	37	-
		-आतंकवाद	2	17	1
		-मानव संसाधन विकास	2	15	6
10.	मानव संसाधन विकास	-मानव विश्वविद्यालय	2	15	6
		-यशपाल समिति की रिपोर्ट	1	15	6

1	2	3	4	5	6
11.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य	3	17	-
12.	रेल	-रेल परियोजनाएं -रेलगाड़ियां	5 1	27 16	11 -
13.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	5	52	28
14.	ग्रामीण विकास	नरेगा	4	20	6
15.	शहरी विकास	जे एन एन यू आर एम	1	20	-

विवरण-VI

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 431 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना अनुभाग और दीर्घा को भेज दी गई थी ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 की सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन विवरणों में से प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए दीर्घा में काउन्टर पर रख दी गई थी।

विवरण-VII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	एन.आर.आई./पी.आई . ओ. बच्चों के लिए निर्धारित सीटें	श्री राजीव प्रताप रूडी	प्रवासी भारतीय कार्य	अस्वीकृत	-
2.	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए कर अवकाश	श्री प्रकाश जावडेकर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	वापस	-
3.	एन.आर.आई./पी.आई . ओ. बच्चों के लिए निर्धारित सीटें	श्री एस. एस. अहलुवालिया	प्रवासी भारतीय कार्य	अस्वीकृत	-
4.	मुफ्त गेहूँ और चावल का वितरण	श्री रामदास अग्रवाल	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकृत	-
5.	प्रतीक्षा सूची के टिकटों का दलालों द्वारा नियंत्रण	श्री नन्द किशोर यादव	रेल	व्यपगत	-
6.	शिक्षा क्षेत्र का विकास	श्री विक्रम वर्मा	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
7.	भारतीय निर्यातों पर वैश्विक मंदी का प्रभाव	श्री प्रकाश जावडेकर	वाणिज्य और उद्योग	व्यपगत	-
8.	मानसून में विलंब	सुश्री मैबल रिबेलो	कृषि	अस्वीकृत	-
9.	मानसून में विलंब	सुश्री मैबल रिबेलो	कृषि	अस्वीकृत	-
10.	बारहमासी नदियों के जल का उपयोग	श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक	जल संसाधन	व्यपगत	-
11.	भ्रष्टाचार के संबंध में वैश्विक सर्वेक्षण	श्री राजीव प्रताप रूडी	प्रधानमंत्री	अस्वीकृत	-

12.	तेल और गैस पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा रॉयल्टी	श्री प्रकाश जावडेकर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	अस्वीकृत	-
13.	शिक्षा क्षेत्र का विकास	श्री शिवानन्द तिवारी	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
14.	निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति	डा. राम प्रकाश	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-
15.	पी. एस. ई. कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान	श्री संतोष बागड़ोदिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम	व्यपगत	-
16.	भिखारियों और गंदी बस्तियों में निवास करने वालों के लिए निर्धनता उन्मूलन	श्री गंगा चरण	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	व्यपगत	-
17.	100 दिवसीय कार्यसूची संबंधी विनियामक	श्री प्रकाश जावडेकर	कोयला	अस्वीकृत	-
18.	विश्व व्यापार संगठन में लघु मंत्रीस्तरीय वार्ता की विफलता	श्री एन. के. सिंह	वाणिज्य और उद्योग	अस्वीकृत	-
19.	सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान	श्री रामचन्द्र खूँटिआ	जल संसाधन	व्यपगत	-
20.	कारपोरेट उद्योग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	श्री संतोष बागड़ोदिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	व्यपगत	-
21.	कारपोरेट उद्योग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	श्री जेसुदासु सीलम	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	व्यपगत	-
22.	सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	जल संसाधन	व्यपगत	-

विवरण-VIII

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों का सारांश

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	03.07.2009	श्री दिनेश त्रिवेदी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	तारंकित प्रश्न 228	30.11.2007	स्वास्थ्य पर खर्च होनेवाला सकल घरेलु उत्पाद
2.	07.08.2009	श्री प्रदीप जैन, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारंकित प्रश्न 1157	14.07.2009	भारत निर्माण योजना

विवरण-IX

राज्य सभा में पूछे गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय रखा गया था.....	25
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था	शून्य
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	शून्य
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया.....	4 (16.7.2009, 23.7.2009, 3.8.2009 और 6.8.2009 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या.....	शून्य
6.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या.....	1561
7.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुई	141
8.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम.....	15 (श्री रामचन्द्र खूंटीआ)
9.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये.....	108
10.	उन प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये	108
11.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या.....	489
12.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये.....	4202

13	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं.....	375 (श्री मोहम्मद अली खान, संसद सदस्य द्वारा)
14	किसी एक सदस्य द्वारा पूछे गए सर्वाधिक अनुपूरक प्रश्न.....	16 (डा. के. मलयसामी, संसद सदस्य द्वारा)
15	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	5 (श्रीमती शोभना भरतिया, संसद सदस्य द्वारा)
16	उन प्रश्नों की संख्या जिन्हें सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नहीं उठाया जा सका.....	13
17	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 20 से कम प्रश्न थे.....	शून्य
18	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या.....	122 (02.07.2009 को)
19	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	7 (21.07.2009, और 27.07.2009)
20	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए.....	3 (07.08.2009 को)
21	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन से प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या.....	771
22	किसी एक विषय पर उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया हो.....	5 (राष्ट्रीय राजमार्ग पर)
23	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या.....	6
24	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	551 (वित्त मंत्री को)
25	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित गृहीत प्रश्नों की सर्वाधि संख्या.....	298 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को)

26	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या.....	8 (वित्त मंत्री द्वारा)
27	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या..	55 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा)
28	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया.....	शून्य
29	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या.....	322.9
30	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या..	4.32
31	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या.....	19.56
32	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न रूद्ध संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या.....	4.52
33	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय..	13.8 मिनट
34	प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या...	431
35	किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या.....	20 (07.07.2009, 27.07.2009 और 04.08.2009 को प्रतिदिन)
36	सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्न के सन्दर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण.....	9 पृष्ठ (रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 311)
37	राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या.....	2 (03.07.2009 और 07.08.2009 को)

विवरण - X

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/उप सभापति द्वारा की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/निर्णय	तारीख	की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/ निर्णय
1	2	3	4
1.	माननीय सभापति	01.07.2009	सभापति ने निदेश दिया कि प्रश्नों का सम्पादन करते समय प्रश्न शाखा जहां कहीं आवश्यक हो वहां 'प्रवासी' शब्द की जगह 'अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग' शब्द प्रतिस्थापित करेगी।
2.	माननीय सभापति	10.07.2009	तारांकित प्रश्न सं. 103 के उत्तर के दौरान, माननीय सभापति ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि "यदि प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न भाषण बन जाएगा तो शायद, एक प्रश्न तक का भी उत्तर नहीं दिया जाएगा? यह निर्णय सदस्यों को करना है कि क्या वे दूसरे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। इसलिए, प्रश्नों को प्रश्न ही रहने दीजिए"। यह सहमति बनी कि सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त, सटीक और केन्द्रित हों।
3.	माननीय सभापति	13.07.2009	श्री एम. वी. मैसूरा रेड्डी, संसद सदस्य ने तारांकित प्रश्न संख्या 123 के दो अनुपूरक प्रश्न एक साथ पूछने चाहे। श्री एस.एस. अहलुवालिया, संसद सदस्य ने माननीय सभापति के ध्यान में यह बात लाई कि सदस्य को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिला है। तथापि, माननीय सभापति ने यह टिप्पणी की: मेरी बात बिल्कुल सीधी - सी है। एक समय एक ही अनुपूरक प्रश्न होना चाहिए" तथापि, जब सभापति को यह संतुष्टि हो गई कि सदस्य केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही उठा रहे थे तो उन्हें बाद में वह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई।

1	2	3	4
4.	माननीय सभापति	15.07.2009	<p>जब तारांकित प्रश्न सं. 161 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो माननीय सभापति ने टिप्पणी की, "माननीय सदस्यगण, प्रश्नों का समय केवल प्रश्न पूछने के लिए ही होता है और इसमें सामान्य वाद-विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें प्रक्रिया से बंधा रहना चाहिए, यदि आपको प्रश्न के उत्तर पर आधारित अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो आप पूछिए और मंत्री जी उत्तर देंगे"।</p> <p>माननीय सभापति ने पुनः टिप्पणी की, "यदि प्रश्नों और उत्तरों की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो सभापीठ के पास उस प्रश्न को छोड़ देने और अगले प्रश्न पर जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचता"।</p> <p>"माननीय सभापति ने आगे यह टिप्पणी की," देखिए, मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह सबके हित में है ताकि जो प्रश्न पूछा गया है उसका समुचित तरीके से उत्तर दिया जा सके। यदि आप उस पर वाद-विवाद चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है। परन्तु यदि आप प्रश्नों के समय के दौरान सामान्य वाद-विवाद चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा"।</p>
5.	माननीय सभापति	15.07.2009	<p>तारांकित प्रश्न सं. 161 के उत्तर के दौरान, माननीय सभापति ने टिप्पणी की: "अनुपूरक प्रश्न दिए गए उत्तर से अवश्य संबंधित होना चाहिए"।</p>
6.	माननीय सभापति	15.07.2009	<p>जब भी रामचन्द्र खूँटिआ, संसद सदस्य तारांकित प्रश्न सं. 161 का अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे थे तो सभापति ने उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछने का अनुरोध किया, तथापि, सदस्य ने उनका अनुरोध नहीं माना और अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने लगे। तब माननीय सभापति ने टिप्पणी की" मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे केवल एक प्रश्न, जिसे वह बेहतर समझें, का उत्तर दें"।</p>
7.	माननीय सभापति	17.07.2009	<p>तारांकित प्रश्न सं. 204 के उत्तर के दौरान, माननीय सभापति ने टिप्पणी की कि अनुपूरक प्रश्न के लिए, नियम यह है कि यदि उसी सदस्य द्वारा एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो संबंधित मंत्री द्वारा केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।</p>
8.	माननीय सभापति	27.07.2009	<p>सुश्री मैबल रिबेलो, संसद सदस्य ने, जो तारांकित प्रश्न सं. 332 की द्वितीय प्रश्नकर्ता थी, दूसरे अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुरोध किया। माननीय सभापति ने टिप्पणी की: "आप केवल इस प्रश्न से सम्बद्ध हैं। आपने यह प्रश्न पूछा नहीं। मुझे खेद है, यदि मुख्य प्रश्नकर्ता अनुपस्थित है तो किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार प्रदत्त नहीं किया जा सकता"।</p>

1	2	3	4
9.	माननीय सभापति	29.07.2009	श्री ओ.टी. लेपचा, जो कि तारांकित प्रश्न सं. 361 के द्वितीय प्रश्नकर्ता थे, ने दो अनुपूरक प्रश्न पूछे, माननीय सभापति ने मंत्री महोदय को केवल प्रथम भाग का उत्तर देने का निदेश दिया।
10.	माननीय सभापति	29.07.2009	तारांकित प्रश्न सं. 362 के प्रथम प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे, माननीय सभापति ने द्वितीय प्रश्नकर्ता, श्री एन. के. सिंह को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।
11.	माननीय सभापति	29.07.2009	तारांकित प्रश्न सं. 362 का उत्तर देने के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री संबंधित सदस्य को सड़क परियोजनाओं में देरी के संबंध में जानकारी प्रदान करने पर सहमत हो गए। दूसरे सदस्य (श्री सीताराम येचुरी) ने माननीय सभापति ने यह अनुरोध किया कि यह जानकारी आपको ही दी जानी चाहिए केवल तभी यह सभा की संपदा बन सकेगी। माननीय सभापति ने सहमत होते हुए यह कहा कि "ठीक है, यदि यह जानकारी एक सदस्य के साथ बांटी जा सकती है, तो यह सभी सदस्यों के साथ भी बांटी जा सकती है"।
12.	माननीय सभापति	29.07.2009	तारांकित प्रश्न सं. 363 का अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य ने कहा कि "महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि भारत से विदेशी वस्त्रों के निर्यात में मेरा व्यक्तिगत हित जुड़ा है"। यह राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम के नियम 294 के अंतर्गत हितों की घोषणा से जुड़ा उदाहरण था।
13.	माननीय सभापति	29.07.2009	श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने दिनांक 29 जुलाई, 2009 के पत्र के माध्यम से यह कहा कि दिनांक 3 अगस्त, 2009 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हेतु सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं. 423 योजना मंत्रालय से संबंधित है और उन्होंने यह अनुरोध किया कि श्री वी. नारायणसामी, योजना मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को उस प्रश्न से जुड़े अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अनुमति दी जाए। माननीय सभापति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तथापि प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका क्योंकि सभा दिनांक 3 अगस्त, 2009 को एक घंटे के लिए अचानक ही स्थगित हो गई।

1	2	3	4
14.	माननीय सभापति	31.07.2009	<p>तारांकित प्रश्न संख्या 402 के संबंध में माननीय सभापति ने एक सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न पर, जो राजस्थान राज्य से संबंधित नहीं था, यह निदेश दिया कि प्रश्न "राजस्थान में रेल परियोजनाएं से संबंधित है, अतः केवल उस राज्य से जुड़े अनुपूरक प्रश्न ही पूछने की अनुमति दी जाएगी और तदनुसार सदस्य राजस्थान में रेल परियोजनाओं से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।</p>
15.	माननीय सभापति	04.08.2009	<p>डा. (श्रीमती) नज़मा ए. हेपतुल्ला ने माननीय सभापति, राज्य सभा का ध्यान "यशपाल समिति के प्रतिवेदन पर राज्यों से विचार-विमर्श" शीर्षक वाले तारांकित प्रश्न सं. 449 की ओर दिलाया और यह टिप्पणी की कि: "नियमों के अंतर्गत ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता क्योंकि यह नीतिगत नियमों से संबंधित है"।</p> <p>प्रश्न यशपाल समिति के प्रतिवेदन और उसके कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न चरणों से संबंधित था। प्रश्नों की ग्राह्यता से जुड़े नियम 47 (20) XIII की ओर ध्यान दिलाते हुए यह मामला उठाया गया था, जिसके अनुसार "उसमें नीति संबंधी ऐसे प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे जो इतने विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सकें"।</p> <p>उक्त संदर्भित प्रश्न से यह संकेत नहीं मिलता कि इसमें नीतिगत विषय अन्तर्विष्ट है क्योंकि यह मात्र उच्च शिक्षा तथा उसके कार्यान्वयन से संबंधित यशपाल समिति के प्रतिवेदन का संदर्भ देता है। अतः प्रश्न का उद्देश्य इस विषय पर सरकार की किसी नीति का संदर्भ उठाए बिना मात्र तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना है। माननीय सभापति इस पर सहमत हो गए।</p>

1	2	3	4
16.	माननीय सभापति	07.08.2009	<p>"स्वाइन फ्लू के रोगियों का उपचार" संबंधी तारंकित प्रश्न सं. 483 पर अनुपूरक प्रश्न पूछते समय श्री विजय जवाहरलाल दर्डा, संसद सदस्य ने एक से अधिक प्रश्न पूछे।</p> <p>माननीय सभापति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देने को कहा। तथापि, मंत्री महोदय ने माननीय सभापति से सभी प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति मांगी क्योंकि विषय को लेकर बाहर बहुत ही भय की स्थिति बनी हुई थी और विषय को विभिन्न चैनलों द्वारा सही रूप से नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था और पूरे देश में सही संदेश देने के प्रयास में उनके पास उपलब्ध जानकारी को बांटने का यह सबसे अच्छा अवसर व सर्वोत्तम मंच था। सभापति महोदय ने मंत्री महोदय को सदस्य के सभी अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दे दी।</p>